प्रकरण संख्या–04 / 2018 तारीख रजु–01.02.2018

(3)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

रूपसिंह पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी मांची (माढ़ई) तहसील व जिला करौली

– अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली, तहसील व जिला करौली – रेस्पोडेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 24.11.2017 न्यायालय तहसीलदार करौली मु.नं. 42 / 17 उनवानी सरकार बनाम रूपसिंह अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट जिसकी रूह से अपीलाण्ट को 3 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है, के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक–11.06.2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 24.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरबिट्रेरी, परिवश्रि रेस्पोडेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 24.11.2017 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91(3) एल. आर.एक्ट के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं करायी है। तामील सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करायी गयी है। तामील रामवीर पुत्र गणेश पर करायी गयी होना बताया है जबकि रामवीर अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं है, फैमेली मैम्बर नही है, अपीलाण्ट व अपीलाण्ट की पत्नि व अपीलाण्ट के बच्चों पर कोई तामील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करायी गयी है और रामवीर जो अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं है उसको दी गयी तामील को विधिवत् तामील मानते हुए प्रकरण में विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का नोटिस व अवसर दिये एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर जैर अपील निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट का आराजी खसरा नम्बर 954 / 2 रकबा 1 बीघा किस्म चरनोट पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व कब्जा नहीं है भूमि मौके पर खाली है। अपीलाण्ट इस बाबत न्यायालय श्रीमान् में अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने को तैयार है। जैर अपील निर्णय दिनांक 24.11.2017 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 24.01.2018 को पुलिस थाना करौली के कांस्टेबल द्वारा अपीलाण्ट के घर वारण्ट गिरफ्तारी लेकर आने पर अपीलाण्ट के घर पर नही होने से अपीलाण्ट की पत्नि से कांस्टेबल द्वारा न्यायालय तहसीलदार करौली से दो गिरफ्तारी वारण्ट होने की कहने पर एवं अपीलाण्ट के शाम को घर पर पहुंचने पर अपीलाण्ट की पत्नि द्वारा अपीलाण्ट से तहसीलदार करौली के यहां से पुलिस थाना करौली से दो वारण्ट होने की

जिला कलक्टर
करौली

कहने पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 25.01.2018 को तहसील कार्यालय जाकर मालूम करवाने पर एवं नकल आवेदन कर नकल निर्णय दिनांक 24.11.2017 प्राप्त होने पर हुयी है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी व ज्ञान नहीं रहा है। दिनांक 24.11.17 से दिनांक 24.01.2018 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शाामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय दिनांक 24.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरबिट्रेरी, परिवरिश रेस्पोडेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 24.11.2017 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91(3) एल.आर.एक्ट के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं करायी है। तामील सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करायी गयी है। तामील रामवीर पुत्र गणेश पर करायी गयी होना बताया है जबकि रामवीर अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं हैं, फैमेली मैम्बर नही है, अपीलाण्ट व अपीलाण्ट की पत्नि व अपीलाण्ट के बच्चों पर कोई तामील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करायी गयी है और रामवीर जो अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं है, उसको दी गयी तामील को विधिवत् तामील मानते हुए प्रकरण में अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का नोटिस व अवसर दिये एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर जैर अपील निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट का आराजी खसरा नम्बर 954/2 रकबा 1 बीघा किस्म चरनोट पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व कब्जा नहीं है भूमि मौके पर खाली है। अपीलाण्ट इस बाबत अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आराजी खसरा नम्बर 954/2 रकबा 1 बीघा ग्राम मांच पटवार हल्का मांची तहसील करौली पर से अपना कब्जा हटा लिया है। भूमि मौके पर खाली पडी हुयी है। अपीलाण्ट भविष्य में कभी भी उक्त भूमि या किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व कब्जा नही करेगा। न्यायहित में अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही धारा 91 एल.आर.एक्ट समाप्त किया जाना न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि निर्णय नियमानुसार एवं विधिवत् अपीलाण्ट के भाई पर तामील करवाकर पारित किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

तहसीलदार करौली से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार करौली ने पत्रांक रीडर/2018/636 दिनांक 08.05.18 से अवगत कराया है कि पटवारी मांची द्वारा दिनांक 08.05.18 को मौका देखा गया जिसमें खसरा नं. 954/2 ग्राम मांढ़ई/मांची से

जिला कलक्टर
करौली

प्रकरण संख्या–04 / 2018 तारीख रजु–01.02.2018

अतिक्रमी श्री रूपसिंह पुत्र गणेश जाति गुर्जर द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त खसरा नम्बर 954 / 2 रकबा 1 बीघा पर अपना अतिक्रमण नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं तहसीलदार करौली द्वारा अतिक्रमी अपीलाण्ट द्वारा कब्जा हटा लेने एवं वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पड़ी होने बाबत् अवगत कराया है। अतः निर्णय दिनांक 24.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय को अपास्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय दिनांक 24.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.06..2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली